भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1421

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम

1421. श्री अरुण भारतीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) के विकास और संचालन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास और संचालन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) एनआईसीडीसी द्वारा अनुमानित कितना वैश्विक निवेश आकर्षित किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने सतत विकास के मद्देनजर परियोजना के विकास के लिए सावधानियां बरती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास औद्योगिक और आर्थिक विकास पर रिपोर्ट करने के लिए कोई निगरानी समिति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समिति की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के रूप में जाना जाता था) को राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के विकास, समन्वय और कार्यान्वयन हेतु जनवरी, 2008 में निगमित किया गया था। औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत, स्थायी अवसंरचना के साथ स्मार्ट सिटी/नोड्स विकसित किए जाते हैं तथा भूखंड स्तर पर 'प्लग और प्ले' अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत भारत सरकार ने 20 परियोजनाओं के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. चार पूरी हो चुकी परियोजनाएं अर्थात् धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (गुजरात), शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (औरंगाबाद), एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी।
2. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु चार परियोजनाएं - कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब (एमएमएलएच) और मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) तथा नांगल चौधरी (हरियाणा) में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब।
3. 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, नामतः आईएमसी खुरपिया (उत्तराखंड), आईएमसी राजपुरा (पंजाब), आईएमसी हिसार (हरियाणा), दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र), आईएमसी पलक्कड़ (केरल), आईएमसी आगरा और आईएमसी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), आईएमसी गया (बिहार), ज़हीराबाद औद्योगिक क्षेत्र (तेलंगाना), ओर्वकल औद्योगिक क्षेत्र और कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) तथा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (राजस्थान)।

   मुख्य अवसंरचना के विकास हेतु निर्माण की अनंतिम समय सीमा ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति की वास्तविक तिथि से 36-48 महीने है। इन परियोजनाओं की संयुक्त निवेश क्षमता के 1,52,757 करोड़ रुपए (~18 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है।

(घ): औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों (एलसीसी) के विकास में सहयोग हेतु विकास के सतत दृष्टिकोण को अपनाती हैं, जिसमें खुले हरित स्थान, सार्वजनिक परिवहन और परिवहन उन्मुख विकास (टीओडी) की योजना बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना, जल संरक्षण और इसके पुनर्चक्रण को इष्टतम करना तथा ठोस अपशिष्ट सामग्री की पुनःप्राप्ति और पुनर्चक्रण शामिल है।

(ङ): जी हां, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष मॉनीटरिंग प्राधिकरण, आवधिक रूप से एनआईसीडीआईटी (राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट) के कार्यकलापों की समीक्षा करता है, और डीपीआईआईटी

के सचिव के नेतृत्व में एक ट्रस्टी बोर्ड, इसकी निगरानी करता है। शीर्ष मॉनीटरिंग प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार है:

1. वित्त मंत्री - अध्यक्ष
2. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय - सदस्य
3. रेल मंत्री - सदस्य
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री - सदस्य
5. पोत परिवहन मंत्री - सदस्य
6. उपाध्यक्ष, नीति आयोग - सदस्य
7. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री - सदस्य

*****